

SP-1042
5-316

228

81

सदर
न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म प्र. ग्यालियर कोर्ट नं. 9

रा. प्र. क्र. R/1092/1/15 जबलपुर
निगा-814-I-16

5-4-16

- ११॥ डॉ. प्रशांत मिश्रा पिता डॉ. पी. एल मिश्रा
निवासी जी. एफ. -1 आदि इन्क्लेव राईट
टाउन जबलपुर, जिला जबलपुर
- १२॥ अब्दुल रज्जाक खान पिता अब्दुल खान
निवासी कटंगी, तह. पाटन, जिला जबलपुर
- १३॥ दिनेश कुमार जैन पिता सुरेश जैन
साकिन मैर रांड कटंगी, तह. पाटन,
जिला जबलपुर

आवेदकगण

// काम //

- ११॥ शिव शंकर समिति मंदिर वाड़ा कटंगी द्वारा
अध्यक्ष आनंद कुमार साहू एवं अन्य
- १२॥ देवकुमार गुप्ता पिता स्व. लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता
द्वारा मुख्तयारआम रवि गुप्ता पिता श्री
राजाराम गुप्ता निवासी 120 लार्डगंज तह
व जिला जबलपुर
- १३॥ श्रीमति किरण गुप्ता पति स्व. अजय गुप्ता
द्वारा मुख्तयारआम रमेश कुमार दुबे पिता
स्व. प्रेमलाल दुबे, निवासी 27 राईट टाउन
जबलपुर

अनावेदकगण

१४॥ म प्र. शासन, द्वारा तहसीलदार पाटन
अनावेदक/गैरअपीलाधीन आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत धारा 50 म प्र. भू. रा. सं.
के धुसोक्षा याचिका पर निम्न लिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं:-


1. यह कि मौजा कटंगी में शंकर जी मंदिर है जिसमें जमीन
लगी है उपरोक्त मंदिर की शिवशंकर समिति मंदिर वाड़ा है जिसके अध्यक्ष
आनंद कुमार साहू एवं अन्य निवासी कटंगी, तह. पाटन, जिला जबलपुर द्वारा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-817-एक/16

जिला - जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25/2/19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि प्रकरण क्रमांक निगरानी-1092-एक/15 में दिनांक 05.03.2016 को डाक द्वारा लिखित बहस इस न्यायालय को भेजी गई थी। परंतु दायरा लिपिक द्वारा उक्त लिखित बहस का त्रुटिवश दायरा कर दिया गया था। चूंकि प्रकरण क्रमांक निगरानी-1092-एक/15 का निराकरण माह अप्रैल-2016 में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा कर दिया गया है। इस कारण इस प्रकरण को चलाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतः यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।</p>	 सदस्य